समाचार

सम्पत्तिकर नहीं पटाया तो प्रापटी को किया गया सील, निगम के रविशंकर नगर जोन में हुई कार्यवाही

(कर न जमा करने वालों पर सख्त कार्यवाही की तैयारी में निगम, सीलबंदी व सम्पत्तियों को कुर्क करने की होगी कार्यवाही)

कोरबा 12 फरवरी 2026 — निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाता द्वारा न पटाये जाने पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर आज निगम ने 02 सम्पत्तियों को सील कर दिया, यह कार्यवाही रविशंकर नगर वार्ड क्र. 28 में निगम के बड़े बकायादार धर्मवीर सिंह पर की गई, वहीं बुधवार को बुधवारी व रविशंकर नगर में 05 दुकानों को किराया जमा न करने पर सील कर दिया गया था, कर न जमा करने वाले बकायादारों पर अब सख्त कार्यवाही के मूड में है निगम, विशेष कर बड़े बकायादारों द्वारा यदि शीघ्र बकाया करों की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्पत्तियों की सीलबंदी व उन्हें कुर्क करने की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बड़े बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार—बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध निगम कड़ी कार्यवाही की तैयारी में हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर,

समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार–बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज रविशंकर नगर जोन के वार्ड क्र. 28 के बड़े बकायादार धर्मवीर सिंह द्वारा के कर की बकाया राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही, जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम के राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह की अगुवाई में निगम की टीम ने उनकी 02 प्रापटियों को सील कर दिया है तथा उन्हें तत्काल बकाया कर राशि निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध सिंह के साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी सुमित गुप्ता, अजय कुमार अग्रवाल, अविनाश जायसवाल सहित अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।

समय पर कर का भुगतान कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम के करदाताओं व बकायादारों से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम को देय वर्तमान वर्ष के करों सहित बकाया करों की राशि निगम कोष में जमा कराये, इसके साथ ही समय पर कर का भुगतान कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। उन्होने कहा है कि करों से प्राप्त राशि से निगम द्वारा नगर विकास के साथ–साथ नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाते हैं, समय पर कर राशि जमा न करने पर निगम के कार्य प्रभावित होते हैं तथा निगम को आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है, अतः आवश्यक है कि समय पर कर का भुगतान निगम को प्राप्त हों। आयुक्त श्री पाण्डेय ने बकायादारों से कहा है कि जिन बकायादारों के द्वारा बकाया राशि निगम में जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही, उनके विरूद्ध निगम लगातार कार्यवाही कर रहा है, अतः शीघ्र बकाया राशि निगम में जमा कराएं तथा कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।